

हाथ की पूर्व-अदायगी
के बिना टाक द्वारा भेजे जाने
के लिए अनुमत्त अनुमति-पत्र
क्र. भोपाल-505/अ.पी.



पृथी क्रमांक भोपाल डिबीजन
122 (एम. पी.)

मध्य प्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 508]

भोपाल, गुरुवार दिनांक 8 अगस्त 1991—श्रावण 17, शके 1913

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 1991

क्र. 10919-21-अ-(प्रा.)—मध्य प्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 7 अगस्त, 1991 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा साक्षानुसार;
टी.पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९९१

मध्य प्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल श्रंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९९१

विषय-सूची

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. दीनदयाल श्रंत्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन.
4. दीनदयाल श्रंत्योदय कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, खण्ड स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को न्यस्त करने की शक्ति.
5. निम्न स्तरीय समिति अपने से वरिष्ठ समितियों के अर्थीक्षण और मार्गदर्शन के अर्थीक्षण रहेगी.
6. अधिकारी और प्राधिकारी इस अधिनियम के अर्धीन गठित समितियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का न्यस्त ध्यान रखेंगे.
7. अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति.
8. नियम बनाने की शक्ति.

मध्य प्रदेश अधिनियम

क्रमांक १४ सन् १९६१

मध्य प्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९६१.

[दिनांक ७ अगस्त, १९६१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई ; अनुमति "मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ८ अगस्त, १९६१ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

लोक अभिकरणों के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा उक्त अंत्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के ब्यालीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, १९६१ है.

(२) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) "दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम;
- (ख) "राज्य स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित समिति;
- (ग) "जिला स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित समिति;
- (घ) "खण्ड स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित समिति;
- (ङ) "ग्राम पंचायत स्तरीय समिति" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित समिति.

(२) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं और मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, १९६० (क्रमांक १३ सन् १९६०) में परिभाषित हैं, वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं.

दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन.

३. लोक अभिकरणों के माध्यम से मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दृष्टि से—

(क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा,—

(एक) संपूर्ण राज्य के लिए एक राज्य स्तरीय समिति,

(दो) राज्य के प्रत्येक राजस्व जिले के लिये जिला स्तरीय समिति

का गठन कर सकेगी जिसमें उतनी संख्या में व्यक्ति होंगे और जो उतनी कालावधि के लिए होगी जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

(ख) राज्य सरकार या ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, आदेश द्वारा,—

(एक) राज्य के प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक खण्ड स्तरीय समिति; और

(दो) राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ग्राम पंचायत स्तरीय समिति का गठन कर सकेगी जिसमें उतनी संख्या में व्यक्ति होंगे और जो उतनी कालावधि के लिए होगी जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए.

परन्तु राज्य सरकार, किसी भी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा समिति की किसी भी कालावधि को कम कर सकेगी या उसके किसी सदस्य की पदावधि को कम कर सकेगी।

४. राज्य सरकार, आदेश द्वारा, दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम की समस्त योजनाओं या उनमें से कोई योजना, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, खण्ड स्तरीय कार्यक्रम की विभिन्न समिति या ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को प्रबोधन एवं समीक्षा हेतु न्यस्त कर सकेगी। कृत्यों का निर्वहन योजनाओं का करने में जिला स्तरीय समिति, खण्ड स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति ऐसे निदेशों द्वारा मार्ग-कायान्वयन राज्य स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति, खण्ड स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत स्तरीय समिति को न्यस्त करने की शक्ति।

५. धारा ४ के अधीन न्यस्त किए गए कृत्यों के निर्वहन के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय समिति, खण्ड विभिन्न स्तरीय स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अधीन रहेगी। खण्ड स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अधीन रहेगी और जिला स्तरीय समिति, राज्य स्तरीय समिति के अधीक्षण और मार्गदर्शन के अधीन रहेगी।

६. किसी अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने वाला अधिकारी या अधिकारी और प्रा-प्राधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कर्तव्यों का पालन करने में, इस अधिनियम के अधीन गठित अधिकारी इस अधि-समितियों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर सम्यक् ध्यान देगा।

७. राज्य सरकार, अनुसूची को अधिमूचना द्वारा, संशोधित कर सकेगी और तदुपरि उक्त अनुसूची अनुसूची को संशो-तदनुसार संशोधित हो जाएगी। धित करने की शक्ति।

८. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निम्न अधिमूचना नियम बनाने की द्वारा बना सकेगी। शक्ति।

(२) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के रटल पर रखे जाएंगे।

अनुसूची

[धारा २ (१) (क) देखिए]

१. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम.
२. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में रोजगार मूलक कार्यक्रम.
३. भूमिहीन; सीमांत, लघु कृषकों के लिये पशुपालन कार्यक्रम का ग्रामोद्योग के रूप में विकास.
४. आदिवासी, हरिजन तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक वित्त की एवं विगड़े वर्गों के मुधार का कार्यक्रम.
५. अधिकतम वन भूमि का नियम अनुसार व्यवस्थापन और उनका समग्र विकास.
६. कुटीर उद्योग और ग्रामोद्योगों के विकास के कार्यक्रम.
७. झुग्गी झोपड़ी वामियों तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन लोगों को गस्ती दर्श पर मूलभूत अथवा प्रादात उपलब्ध कराने का कार्यक्रम.
८. निराश्रितों की पेंशन के लिए कार्यक्रम.

९. आदिवासी, हरिजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष कल्याण कार्यक्रम.
१०. निरक्षरता निवारण कार्यक्रम तथा ६ वर्ष से १४ वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम.
११. प्रत्येक ग्राम में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम.
१२. प्रत्येक ग्राम के विद्युतीकरण के कार्यक्रम.
१३. जीवन धारा कार्यक्रम.
१४. लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम.
१५. महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम.
१६. ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच मार्गों के निर्माण का कार्यक्रम.

भापाल, दिनांक 8 अगस्त 1991

क्र. 10920-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीन दयाल अंत्याद्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्रमांक 14 सन् 1991) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. एस. पिल्लई, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 1991.

THE MADHYA PRADESH (LOK ABHIKARANON KE MADHYAM SE) DINDAYAL ANTYODAY KARYAKRAM KA KARYANVAYAN ADHINIYAM, 1991.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Constitution of Committees at various levels for implementation of Dindayal Antyoday Karyakram.
4. Power to entrust implementation of various schemes of Dindayal Antyoday Karyakram to the State Level Committee, District Level Committee, Block Level Committee and Gram Panchayat Level Committee.
5. Lower Level Committee be subject to superintendence and guidance of higher level committees.
6. Officer and Authority to have due regard to guidance given by the committees constituted under this Act.
7. Power to amend Schedule.
8. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT

No. 14 of 1991.

**THE MADHYA PRADESH (LOK ABHIKARANON KE MADHYAM SE)
DINDAYAL ANTYODAY KARYAKRAM KA KARYANVAYAN
ADHINIYAM, 1991.**

[Received the assent of the Governor on the 7th August, 1991; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 8th August, 1991.]

An Act to provide for implementation of Dindayal Antyoday Karyakram through public agencies and matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty-second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991. Short title and commencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

- (a) "Dindayal Antyoday Karyakram" means the Karyakram specified in the Schedule;
- (b) "State Level Committee" means a committee constituted under Section 3;
- (c) "District Level Committee" means a committee constituted under Section 3;
- (d) "Block Level Committee" means a Committee constituted under Section 3;
- (e) "Gram Panchayat Level Committee" means a committee constituted under Section 3.

(2) The words and expressions used but not defined in this Act and defined in the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1990 (No. 13 of 1990) shall have the meaning assigned to them in that Act.

3. With a view to implementing the Madhya Pradesh Dindayal Antyoday Karyakram through public agencies :—

Constitution of Committees at various levels for implementation of Dindayal Antyoday Karyakram.

(a) the State Government may by an order constitute—

- (i) a State Level Committee for the whole State;
- (ii) District Level Committee for every revenue district in the State,

consisting of such number of persons and for such period as may be specified in such order.

(b) the State Government or such officer as may be authorised by the State Government in this behalf may, by order, constitute

- (i) a Block Level Committee for every development Block in the State; and
- (ii) Gram Panchayat Level Committee for every Gram Panchayat in the State,

consisting of such number of persons and for such period as may be specified in such order :

Provided that the State Government may, at any time, by general or special order reduce the period of any committee or reduce the term of the member thereof.

Power to entrust implementation of various schemes of Dindayal Antyoday Karyakram to the State Level Committee, District Level Committee, Block Level Committee and Gram Panchayat Level Committee.

4. The State Government may, by order, entrust to a State Level Committee, District Level Committee, Block Level Committee or a Gram Panchayat Level Committee all or any of the schemes of the Dindayal Antyoday Karyakram as may be specified in such order for the purpose of monitoring and review. For discharging the functions the District Level Committee, the Block Level Committee and the Gram Panchayat Level Committee, shall be guided by such directions as the State Government may from time to time, give to it in writing.

Different committees be subject to superintendence and guidance of higher level committees.

5. For discharging the functions entrusted under Section 4, the Gram Panchayat Level Committee shall be subject to superintendence and guidance of the Block Level Committee and District Level Committee. The Block Level Committee shall be subject to the superintendence and guidance of District Level Committee and the District Level Committees shall be subject to the superintendence and guidance of the State Level Committee.

Officer and Authority to have due regard to the guidance given by the committees constituted under this Act.

6. The Officer or authority exercising the power and performing the duties under any Act, shall, in exercise or performance of such powers or duties, give due consideration to the guidance given by the committees constituted under this Act.

Power to amend Schedule.

7. The State Government may, by notification, amend the Schedule and thereupon the said Schedule shall stand amended accordingly.

Power to make rules.

8. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

SCHEDULE

[See section 2 (1) (a)]

1. Integrated rural development programme.
2. Employment oriented programmes in rural and urban areas.
3. Development of Animal Husbandry programme as a village industry for landless, marginal and small farmers.
4. Social forestry and improvement of degraded forests programme to provide employment to Adivasis, Harijans and economically weaker sections.
5. Settlement and overall development of forest lands under encroachment as per rules.
6. Programmes for development of cottage and village industries.
7. Programme to provide cheap housing or residential plots to jhuggi and hutment dwellers and homeless persons in rural areas.
8. Programme for pension to destitutes.

9. Special Welfare Programmes for Adivasis, Harijans and economically weaker sections.
10. Programme for the eradication of illiteracy and compulsory and free primary education for the children in the age group of 6 to 14 years.
11. Programme for providing safe drinking water in every village.
12. Programme for electrification of every village.
13. Jeevan Dhara Programme.
14. Public Health and Family Welfare Programme.
15. Woman and child development programme.
16. Programme for the construction of approach roads in the rural areas.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1991.